M P AGRO

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल
0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

वर्ष 2017–18, 18–19 एवं आगे के लिये

निगम के पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में स्थापित कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रपत्र

महाप्रबंधक

(पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

क्रमांक/मुख्या/पोषण आहार/......./2017/ दिनांक................. 2017

कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा सूचना

निगम के बाड़ी जिला रायसेन स्थित पोषण आहार संयंत्र में स्थापित थर्मेक्स कंपनी का कोल थर्मोपैक 2 लाख किलो कैलोरी क्षमता के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति से करवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक **12.01.2018** को अपरान्ह् 2.00 बजे तक निगम की वेबसाईट www.mpagro.org से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किए जा सकते हैं जो उसी दिन अपरान्ह् 3.00 बजे तक निगम के पंचानन भवन स्थित मुख्यालय में उपलब्ध टेन्डर बाक्स में प्राप्त कर अपरान्ह् 4.00 बजे उपस्थित प्रस्तावकों के समक्ष खोले जाएंगे । दर प्रस्ताव के साथ निविदा शुल्क राशि रू0 1000.00 एवं संकल्प धनराशि रू0 50,000.00 के अलग–अलग ड्राफ्ट जो ''एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.'' के नाम से भोपाल देय हों, संलग्न करना अनिवार्य होगा । निगम के प्रबंध संचालक को किसी भी/सभी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रपत्र

ऑफर दस्तावेज का मूल्य राशि रू. 1000/– (रू एक हजार मात्र)

मेसर्स .... से निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 1000/– (रूपये एक हजार मात्र) ड्राफ्ट क्रमांक.............दिनांक .... से प्राप्त किया ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

निविदा पत्र प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 12.01.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक
पूर्ण निविदा पत्र टेण्डर बॉक्स में प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा	दिनांक 12.01.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा खोलने की तिथि लिफाफा क्रं 1	दिनांक 12.01.2018 अपरान्ह 4.00 बजे

योग्य पाये गये आफरकार्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव (लिफाफा क्रं 2) खाले जाने की दिनांक एवं समय की जानकारी निगम के सूचना पटल पर दी जावेगी एवं योग्य प्रदायकों को ई मेल/दूरभाष पर सचित किया जावेगा।

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा पत्र में कुल 16 पृष्ठ निम्नानुसार हैः–

क्रं	विवरण	अनुसूची	पृष्ठ संख्या
1	आवेदन पत्र	अनुसूची –1	1 से 6
2	सामान्य शर्ते	अनुसूची –2	7 से 13
3	घोषणा पत्र	अनुसूची –3	14
4	अनुबंध का प्रारूप	अनुसूची –4	15
5	वित्तीय प्रस्ताव	अनुसूची –5	16

निविदा पत्र में उद्धृत/उल्लेखित विभिन्न शब्दों का भावार्थ–

•	निगम	–	दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
•	संयंत्र		बाड़ी जिला रायसेन में स्थित पोषण आहार संयंत्र जो भोपाल से 105 किलो मीटर तथा मंडीदीप से 75 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है।
•	निविदाकर्ता	–	निविदाकर्ता जिनके द्वारा उक्तानुसार कार्य किये जाने हेतु निर्धारित दस्तावेज में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
•	ठेकेदार		निविदाकर्ता जिनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य कर कोल थर्मोपैक संचालन एवं रख–रखाव का कार्य करने हेतु अनुबंधित किया गया हो।
•	संकल्प धनराशि (ई.एम.डी.)	–	निविदा पत्र की शर्त क्रं. 3 के अनुसार
•	धरोहर राशि (सिक्युरिटी डिपाजिट)		निविदा पत्र की शर्त क्रं. 10 के अनुसार
•	थर्मोपैक कोल बॉयलर		थर्मेक्स कंपनी का कोल थर्मोपैक VC2Y-2 लाख किलो कैलोरी क्षमता
•	प्रबंध संचालक		दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के प्रबंध संचालक
•	महा प्रबंधक (पोषण आहार)		दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि के महा प्रबंधक (पोषण आहार)

कार्य का स्वरूप

दी एम.पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो लिमि (निगम) जो मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, के बाड़ी जिला रायसेन स्थित पोषण आहार संयंत्र (सयंत्र) में पूरक पोषण आहार का उत्पादन किया जाता है । उत्पादित सामग्री की रोस्टिंग की जाती है, इस हेतु संयंत्र में थर्मेक्स कंपनी का कोल थर्मोपैक VCTY- 02 लाख किलो कैलोरी क्षमता का स्थापित है । पूरक पोषण आहार के उत्पादन का कार्य तीन शिफ्टों में किया जाता है । ठेकेदार/निविदाकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य/दायित्वों का विस्तृत विवरण अनुसूची –2 की शर्त क्रं. 7 में उल्लेखित है । कोल थर्मोपैक के रख–रखाव एवं कोयले की खपत के आधार पर दर प्रस्ताव प्रति मी.टन के आधार पर ठेका पद्धति से सम्पन्न करवाने हेतु निर्धारित शर्तो पर दर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

अनुसूची–1

कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

महा प्रबंधक (पोषण आहार)
एम.पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड
तृतीय तल पंचानन भवन,मालवीय नगर
भोपाल ।

विषय–निगम के पोषण आहार संयंत्र बाडी जिला रायसेन में कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु आवेदन पत्र ।

महोदय,

हमारे द्वारा पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है। हमारी फर्म का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं0	विवरण	प्रस्तुत विवरण
1	निजी कंपनी, निजी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / पार्टनरशिप फर्म / अन्य	____________________
3	फर्म के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	....
4	निविदा प्रस्तुत करने / हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति / प्रापराईटर का नाम	....
5	दूरभाष क्रमांक मोबाईल क्रं0 ई मेल	....
6	पेन नंबर	____________________
7	जीएसटी नंबर	____________________
8	श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस	....
9	फर्म में नियोजित कुशल आपरेटर्स का विवरण–नाम, अनुभव (वर्षो में), कंपनी जहां कार्य किया है (अलग से प्रस्तुत करें व जानकारी स्वयं सत्यापित करें) ।	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर सील सहित
नाम.................................. ....

अनुसूची 2

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
- ☎- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@ gmail.com

कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा प्रपत्र

सामान्य शर्तें

1 अर्हता –

1.1 निविदाकर्ता निजी कंपनी, निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/अन्य जो श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेंस धारक हों ।

1.2 निविदाकर्ता के पास आयकर विभाग द्वारा जारी PAN तथा GST No होना आवश्यक है।

1.3 निविदाकर्ता के पास 3 कोल थर्मोपैक ऑपरेटर तथा 3 अकुशल श्रमिक पूर्णकालिक हों जिन्हें कोल बॉयलर संचालन का अनुभव होना आवश्यक है (विवरण संलग्न करें) ।

1.4 निविदाकर्ता के पास कोल थर्मोपैक संचालन एवं रख–रखाव का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

2 आवेदन/निविदा पत्र –

2.1 निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को निर्धारित निविदा दस्तावेज क्रय किया जाना अनिवार्य है जो कि निगम की वेबसाईट से डाउनलोड कर राशि रूपये 1000.00 का ड्राफ्ट(वापसी योग्य नहीं) संलग्न कर दिनांक 12.01.2018 अपरान्ह् 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है ।

2.2 एक निविदाकर्ता से एक ही निविदा स्वीकार की जावेगी । निविदाकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्म या अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आवेदक द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी निविदा अमान्य की जावेंगी एवं संबंधित निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि जप्त की जावेगी ।

2.3 निविदा प्रस्तुत करने का आशय है कि निविदाकर्ता ने निगम द्वारा जारी निविदा पत्र को भलीभांति पढ़ लिया है, उनके द्वारा संयत्र पर स्थापित कोल थर्मोपैक का निरीक्षण किया गया है एवं वह कार्य के स्वरूप/आवश्यकताओं से भलीभांति अवगत है तथा निगम की निर्धारित शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत है।

3 **<u>संकल्प धन राशि</u>** (EMD) –

3.1 निविदा के साथ संकल्प धनराशि रू 50,000/– (रू पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो ''**<u>दी एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड</u>**'' के नाम से भोपाल देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है । बिना संकल्प धनराशि के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।
पर्व वर्ष में जमा धरोहर राशि को मान्य नहीं किया जावेगा। निविदाकार को नवीन धरोहर राशि

3.2 **<u>संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है</u>** :–

1. निगम द्वारा निविदाकर्ता की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपनी निविदा वापस लिये जाने की दशा में।
2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. निविदाकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
4. निविदाकर्ता द्वारा निविदा मान्य होने पर निर्धारित समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में ।
5. निविदा पत्र की शर्त क्रं 2.3 में वर्णित दशा में।

3.3 अयोग्य पाये गये निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी ।

4 <u>निविदा प्रस्तुत किया जाना</u> –

4.1 सभी प्रकार से पूर्णतः भरे हुये निविदा दस्तावेज (पृ0 क्रं0–01 से 16 तक हस्ताक्षर एवं सील सहित) दिनांक 12.01.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निगम के भोपाल स्थित मुख्यालय में रखे टेंडर बॉक्स में प्राप्त किये जाएंगे । निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् विलंब से प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जावेगा चाहे ऐसी निविदाएं डाक द्वारा विलंब से प्राप्त हुई हों।

4.2 विधिवत रूप से क्रय किये गये निविदा पत्र को दो अलग–अलग लिफाफों यथा ''लिफाफा क्रमांक 1–''तकनीकी विवरण'' तथा ''लिफाफा क्रमांक 2–''वित्तीय प्रस्ताव'' के रूप में प्रस्तुत किया जाना है ।

4.3 **लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण** –

1. अनुसूची क्रमांक–3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति ।
2. निविदाकर्ता के पक्ष में श्रम विभाग द्वारा जारी वैध लायसेंस की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. आयकर विभाग द्वारा जारी PAN तथा GST No. की स्वप्रमाणित प्रति।
4. निविदाकर्ता फर्म की और से निविदा/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति (प्रोपराईटर होने की दशा में आवश्यक नहीं)।
5. निविदा दस्तावेज सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।

..9

6. निविदा शुल्क राशि रू 1000.00 एवं शर्त क्रं 3 के अनुसार संकल्प राशि रूपये 50,000.00 के अलग–अलग डिमांड ड्राफ्ट ।
7. शर्त क्रं 1 के अनुसार सभी आवश्यक वैध एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज ।
8. अनुसूची 1 के अनुसार निविदाकर्ता का विवरण/आवेदन पत्र

लिफाफा क्र. 1 के ऊपर स्पष्ट शब्दो में **'लिफाफा क्रमांक–1, कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु** '' लिखा जावे ।

4.4 लिफाफा क्रमांक 2 में परिशिष्ट क्र. 4 के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव विधिवत् हस्ताक्षर करते हुए प्रस्तुत किया जावे । लिफाफा क्रमांक 2 के ऊपर स्पष्ट शब्दों में '' **कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु वित्तीय प्रस्ताव**'' लिखा जावे ।

4.5 उक्तानुसार दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में ''**कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु निविदा**'' लिखकर बंद कर टेंडर बाक्स में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4.6 उपरोक्त विवरण अनुसार निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक है। लिफाफा क्रं 1 में दर प्रस्तुत किये जाने की दशा में प्रस्तुत प्रस्ताव को अमान्य कर विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

5 निविदा खोला जाना–

5.1 नियत तिथि को टेंडर बॉक्स में प्राप्त प्रस्तावों के लिफाफा क्रं 1 तकनीकी विवरण दिनांक 01.07.2016 को अपरान्ह 4.00 बजे एक समिति द्वारा उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे ।

5.2 लिफाफा क्रं 1 के आधार पर योग्य पाये गये निविदाकर्ताओं के लिफाफा क्रं 2 वित्तीय प्रस्ताव समिति के निर्णय उपरांत निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । लिफाफा क्र. 2 खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी व निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

6 दर प्रस्तुत करना –

6.1 कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर कोल खपत के आधार पर करने हेतु प्रति मी. टन के आधार पर दरें दी जाना हैं।

6.2 दर अनुसूची क्रमांक 4 में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। प्रस्तुत की गई दरों में सभी व्यय एवं टैक्स सम्मिलित रहेगें ।

6.3 प्रस्तुत की गई दरें निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिवस के लिये प्रभावशील रहेंगी अर्थात इस अवधि में निगम द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकार की जा सकेगी । यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा दरें प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त अवधि में अपनी दरें वापस ली जाती हैं या कार्य से मना किया जाता है तो निविदा के साथ प्रस्तुत संकल्प धन राशि को जप्त कर लिया जाएगा ।

6.4 दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। प्रस्तुत दर प्रस्ताव में अंकों एवं शब्दों में अंतर होने की दशा में शब्दों में अंकित दर को मान्य किया जायेगा।

6.5 यद्यपि प्राप्त दरों में किसी भी प्रकार का निगोसिएशन नहीं किया जावेगा, अतः निविदाकर्ताओं का दायित्व है कि वे कार्य हेतु अपनी न्यूनतम दर देवें, तथापि निगम के प्रबंध संचालक प्राप्त दरों के आधार पर निगोसिएशन करने के अधिकारी हैं।

7 <u>कार्य का स्वरूप,कोल थर्मोपैक का निरीक्षण, संचालन एवं दायित्व</u>

7.1. कोल थर्मोपैक में कोयला आपूर्ति का कार्य 8 घण्टे की तीन शिफ्टों में किया जाएगा ।

7.2. तीन राष्ट्रीय अवकाश (26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर) को छोड़कर सभी दिवसों में कार्य किया जाएगा । अन्य अवकाश के संबंध में संयंत्र प्रभारी एक दिवस पूर्व जानकारी देंगे ।

7.3. संयंत्र बाड़ी में प्रतिदिन कोल थर्मोपैक में 1.5 मी.टन स्टीम कोयले की खपत है । उपयोग किए जाने वाला स्टीम कोयला 5000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम का क्रय किया जाता है ।

<u>कोल थर्मोपैक का निरीक्षण एवं संचालन तथा दायित्व –</u>

7.2.1 निविदाकर्ता का यह दायित्व है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व वे संयत्र पर स्थापित कोल थर्मोपैक का निरीक्षण कर परिचालन एवं कार्य प्रणाली से अवगत हो ं।

7.2.2 निविदाकर्ता का **ठेकेदार** के रूप में चयन कर अनुबंध के उपरांत कोल थर्मोपैक चालू हालत में चयनित ठेकेदार को सौंपा जाएगा, इसके उपरांत थर्मोपैक का संचालन ठेकेदार द्वारा इस कार्य हेतु नियत व्यक्तियों द्वारा किया जावेगा एवं उसके संचालन तथा रख–रखाव का पूर्ण दायित्व भी ठेकेदार का रहेगा ।

7.2.3 उक्तानुसार समस्त कार्य को संपादित किये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में आपरेटर/लेबर की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाना आवश्यक है जिससे थर्मोपैक निर्बाध रूप से कार्यशील रहे ।

7.2.4 ठेकेदार की असावधानी व उसके कारण थर्मोपैक बंद रहने से निगम वैकल्पिक व्यवस्था संयंत्र में स्थापित TP02 थर्मोपैक से कराया जाएगा वैकल्पिक व्यवस्था में जो अतिरिक्त राशि का व्यय आएगा, वह संबंधित ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।

..11

7.2.5 थर्मोपैक के परिचालन से होने वाली टूट–फूट/कार्य के दौरान थर्मोपैक के क्षतिग्रस्त होने पर संबधित ठेकेदार द्वारा तत्काल सूचना संयंत्र प्रभारी को दी जाएगी । संयंत्र प्रभारी यह निर्णय लेंगे कि टूट–फूट सामान्य प्रकृति की है या ठेकेदार की असावधानी की वजह से है । असावधानी की दशा में सुधार कार्य में होने वाला व्यय संबंधित ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

7.2.6 यदि किसी कारण संयंत्र प्रभारी को यह लगता है कि ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति/व्यक्तियों का संयंत्र में कार्य करना निगम हित में नहीं है तो ठेकेदार को ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियोजित करना होगा ।

7.2.7 अनुबंध अवधि में निगम के संयंत्र में उत्पादन बंद होने या उत्पादन में कमी होने की दशा में ठेकेदार को स्थापना/लेबर पेमेंट संबंधी किसी भी व्यय/हानि का उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा ।

7.2.8 ठेकेदार का यह दायित्व होगा की वह थर्मोपैक का उचित प्रकार से रख–रखाव करे एवं समय–समय पर संयंत्र प्रभारी से निरीक्षण करवाऐं ।

7.2.9 ठेकेदार (अनुबंधकर्ता) को शासकीय श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा । न्यूनतम वेतन अधिनियम के अतिरिक्त किसी भी अधिनियम का यदि श्रम कानून अथवा अन्य कानून के अंतर्गत पालन करना अनिवार्य हो तो इसका पालन भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, इसके लिए निगम द्वारा ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा ।

7.2.10 यदि ठेकेदार द्वारा श्रम अधिनियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो निगम को अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत देयकों से संबंधित शासकीय एजेंसी द्वारा मांगी गई राशि काटकर संबंधित विभाग में जमा कर सके ।

7.2.11 ठेकेदार द्वारा थर्मोपैक कार्य हेतु नियोजित आपरेटरों/लेबरों की सुरक्षा/देयताओं के भुगतान का संपूर्ण दायित्व ठेकेदार का रहेगा । किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने या अन्य स्थिति में नियोजित किये गये आपरेटरों/लेबरों द्वारा किसी भी प्रकार के क्लेम के विरूद्ध भुगतान का समस्त दायित्व ठेकेदार का रहेगा।

7.2.12 ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी रूप में निगम के नियोजन में नहीं माने जाएंगें तथा ऐसे व्यक्तियों के सभी प्रकार के नियोजन, स्वास्थ्य व अन्य सभी प्रकार के दायित्वों के लिये नियुक्त ठेकेदार उत्तरदायी रहेगें ।

7.2.13 ठेकेदार का दायित्व है कि वह शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मानदेय के आधार पर भुगतान उनके नियोजित आपरेटरों/लेबरों को करेगा । किसी भी विवाद/शासन के नियमों के उल्लंघन की दशा में उत्पन्न वैधानिक स्थिति के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

8 निविदाकर्ता का चयन तथा अनुबंध –

8.1 लिफाफा क्रं 1 के आधार पर योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के लिफाफा क्रं0 2 खोले जाएंगे ।

8.2 निगम द्वारा सामान्यतः प्राप्त न्यूनतम दर देने वाले वैध निविदाकार की दर स्वीकृत की जाएगी ।

8.3 प्रथम न्यूनतम दर देने वाले निविदाकर्ता को दर सूचित कर 15 दिवस में निगम के साथ अनुसूची–5 अनुसार राशि रूपये 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर स्वयं के व्यय पर अनुबंध करना आवश्यक होगा ।

8.4 उक्तानुसार कडिंका क्रं 8.3 के अनुसार समय–सीमा में अनुबंध प्राप्त न होने की दशा में निगम द्वारा ऐसे निविदाकार की संकल्प धनराशि जप्त कर द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर का प्रति प्रस्ताव देकर पत्र प्राप्ती के 15 दिवस में अनुबंध करने हेतु सूचित किया जाएगा । यदि वह अनुबंध नहीं करते हैं तो निगम पुनः निविदा आमंत्रित करेगा ।

9 अनुबंध –

अनुबंधित दरें दिनांक 31.03.2019 एवं आगे की अवधि तक प्रभावशील रहेगीं अर्थात् नवीन निविदा के अंतर्गत नवीन दरों के अनुबंध होने तक के लिये प्रभावशील रहेंगी। यह अविधि 31.03.2020 के आगे नहीं बढ़ायी जा सकेंगी ।

10 धरोहर राशि–

10.1 अनुबंध उपरांत निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संकल्प धनराशि रू **50,000/–** धरोहर राशि के रूप में समायोजित की जावेगी।

10.2 धरोहर राशि अनुबंध की प्रभावशीलता की अवधि में निगम के पास जमा रहेगी। अनुबंध अवधि समाप्ति पर किसी प्रकार की विवादास्पद स्थिति न होने की दशा में धरोहर राशि बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापस की जावेगी।

10.3 धरोहर राशि निम्न परिस्थितियों में जप्त की जा सकती है–

10.3.1 ठेकेदार द्वारा निर्धारित अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य बंद किये जाने की दशा में ।

10.3.2 ठेकेदार द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किये जाने एवं निगम द्वारा इस आधार पर उनके अनुबंध को निरस्त किये जाने की दशा में ।

10.3.3 निविदा पत्र की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किये जाने की दशा में ।

11. **<u>भुगतान</u>–**

11.1 स्वीकृत दर के आधार पर वास्तविक मात्रा में कोयले की खपत के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।

11.2 निगम के प्रभारी बाड़ी संयंत्र द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् 15 दिवस में नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा ।

11.3 संबंधित कर प्रावधानों के अन्तर्गत भुगतान के पूर्व कर की कटौती की जायेगी तथा कटौती के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।

12. किसी भी निविदा/प्राप्त सभी निविदाओं को पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा । उनके द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होकर मान्य करना होगा । इस संबंध में निविदाकर्ता को कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

13. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/ संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ।

14. विवाद की दशा में प्रकरण सर्वप्रथम महाप्रबंधक (पोषण आहार) को प्रस्तुत किया जायेगा । उनके द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा जो आर्बिट्रेटर के रूप में अपना निर्णय देगें । आर्बिट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय होगा ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

..14

अनुसूची–3

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

M P AGRO

कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम की निविदा में उल्लेखित शर्तो के अनुसार पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु सहमत हूँ ।

एम. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे प्रस्ताव को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो पर कार्य करने हेतु मैं/हम सहमत हैं । हम निविदा की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये कार्य में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उसके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रू **50,000.00** प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा निविदा की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं संयंत्र का निरीक्षण कर कार्य को भलीभांति समझ लिया है। हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....
नाम एवं पता

नोट : राशि रूपये 500.00 के स्टाम्प पेपर पर मान्य ।

अनुसूची–4

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है जिसे आगे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... जिन्हें आगे ''ठेकेदार'' कहा जावेगा, के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित कर पोषण आहार संयंत्र बाड़ी जिला रायसेन में कोल थर्मोपैक संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो को मान्य करते हुए निविदा में भाग लिया गया है । निविदा प्रपत्र की समस्त शर्ते अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से ठेकेदार के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे :–

1. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र
3. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

महाप्रबंधक (पोषण आहार)

गवाह :

1.

2.

ठेकेदार

1.
2.

(राशि रू 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित)

अनुसूची–5

दि. एम. पी. स्टेट एग्रो इण्ड. डेव्ह. कार्पो. लिमि.
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
- 0755- 2761392 Fax - 0755 2557305 email - mpagro_bpl@airtelmail.in

M P AGRO

कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु दर प्रस्ताव

फर्म का नाम	मेसर्स.. ....

क.	कार्य का विवरण	दर समस्त व्यय एवं टैक्स सहित		रिमार्क
		अंको में	शब्दों में	
1	कोल थर्मोपैक के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ठेका पद्धति पर करने हेतु दर प्रति मी.टन			
	जी एस टी			
	योग			

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर / सील सहित

नाम....................................